न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74/2007

1 रतनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती तुलसी देवी पत्नी तथाकथित बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 श्रीमती गुडडी देवी पुत्री तथाकथित बन्नेसिंह पत्नी जेतूसिंह जाति राजपूत निवासी राजासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
3 सुमेर सिंह पुत्र बन्नेसिंह।
3/1 श्रीमती उम्मेद कंवर पत्नी सुमेर सिंह।
3/2 सुमन सिंह पुत्र सुमेर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3/3 ममता कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी सायरसिंह।
3/4 सन्नो कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी ओमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जाटूवास तहसील सादुलपुर जिला चुरू।
4 श्रीमती कमलेश कंवर बेवाह गुमान सिंह।
5 नरेश सिंह पुत्र गुमान सिंह।
6 सुनील सिंह पुत्र गुमान सिंह।
6/1 श्रीमती कमलेश कंवर पत्नी गुमान सिंह।
7 राजेन्द्र सिंह पुत्र महेशदान सिंह।
8 शिवचरण सिंह पुत्र महेशदान सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 सावित्री बेवा महेन्द्र सिंह पुत्रवधू महेशदान सिंह।
10 दौलतसिंह दत्तक पुत्र नोपसिंह।
11 बाला कंवर पुत्री नोपसिंह।
12 विजय सिंह पुत्र महिपाल सिंह।
13 हरकेश पुत्र गणपतराम।
14 सुभाष पुत्र गणपतराम।
15 अमरसिंह पुत्र सुखसिंह।
16 रतनसिंह पुत्र बचनसिंह।
17 जगदीश सिंह पुत्र सल्लेसिंह।
18 लादूसिंह पुत्र सल्लेसिंह।
19 निरंजन सिंह पुत्र उगमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भैसावता कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
20 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू उनवानी श्रीमती तुलसी
बनाम सुमेरसिंह आदि दावा घोषणात्मक खाता विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 308/03

उपस्थिति :

1. श्री इन्द्रजीत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बिरजु सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मदनसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

–निर्णय–

दिनांकः–27.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 308/2003 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम भैंसावता कलां की भूमि खसरा नम्बर 77, 78, 79, 80, 297/180, 162, 164 के संदर्भ में दावा बाबत घोषणा, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन जैर बहस अपीलान्ट के दादा रावतसिंह की खातेदारी की रही है इस प्रकार से उक्त भूमि पैत्रिक हुई। जिसमें अपीलान्ट के पिता का 1/4 हिस्सा हुआ। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 3 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा बन्ने सिंह के जीवनकाल में हुआ। अपीलान्ट के पिता का जमीन जैर बहस में 1/12 हिस्सा रहा। विचारण न्यायालय ने मानसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में हटाने का आदेश देने में भी भारी कानूनी भूल की है क्योंकि मानसिंह को विधिवत सिविल न्यायालय द्वारा घोषित नहीं कराई है जब तक मानसिंह की सिविल मृत्यु होना सिविल न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया जाता है तब तक विचारण न्यायालय को मानसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से नाम हटाने का कतई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय को जमीन जैर बहस में अपीलान्ट के पिता का अपने पिता का 1/4 हिस्से की भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का बाई बर्थ प्रत्येक का 1/2 हिस्सा होने से अपीलान्ट के पिता की शेष 1/12 हिस्से में बन्नेसिंह की मृत्यु उपरान्त 1/12 हिस्से में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

लगायत 3 का प्रत्येक का बराबर बराबर प्रत्येक का 1/48, 1/48, 1/48, 1/48 हिस्सा दर्ज करना चाहिये थे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 का स्वर्गीय बन्नेसिंह की हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से में बाई बर्थ हिस्सा नहीं घोषित करने में विचारण न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। स्वर्गीय बन्नेसिंह पत्नी व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 की माता का देहान्त 1965 में ही हो चुका था स्वर्गीय बन्नेसिंह ने कभी भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 से कोई शादी नहीं की ना ही रेस्पोडेन्ट नं. 2 मृ. बन्नेसिंह की पुत्री है। बन्नेसिंह का देहान्त भी वर्ष 1984 में ही हो चुका था। जमीन जेर बहस की बाबत अदालत मातहत द्वारा पूर्व में ही निर्णय कर महेशदानसिंह व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का 1/2 हिस्सा माना गया है तथा जमीन जेर बहस में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 अपने हिस्से की भूमि में पिछले 20 साल से मकानात बनाकर काबिज चला आ रहा है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2007 मु.नं. 308/2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी तुलसी देवी आदि बनात सुमेरसिंह आदि को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दस्तावेज प्रदर्श 7, सैनिक विधवा पहचान पत्र प्रदर्श 8, सैनिक विधवा पेंशन आदेश प्रदर्श 12, मतदाता सूची प्रदर्श 15, राशन कार्ड प्रदर्श 1 व 11 से तथा प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 से यह साबित है कि वादीया संख्या 1 मृ. खातेदार बन्नेसिंह की विधवा है तथा वादीया संख्या 2 उसकी पुत्री है। उक्त दस्तावेजात लोक सेवकों द्वारा अपने पक्षीय कर्तव्य द्वारा बनाये गये है। जिनका खण्डन ना तो प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य से होता है ना ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर है जिससे इन पर सन्देह किया जा सके ऐसी स्थिति में तनकी नं. 1 को वादीयागण ने सिद्ध किया है तथा तनकी संख्या 4 व 5 को प्रति. सिद्ध करने में असफल रहे है तथा मानसिंह को दोनों पक्षों ने पिछले 30 वर्ष से लापता होना व उसके जीवित नहीं होने पर सहमत है। वादीया मृ. बन्नेसिंह की वारीस है यह तथ्य साबित है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादीया संख्या 1 व 2 व प्रति. संख्या 1 व 2 मृ. बन्नेसिंह के 1/4 हिस्सा के सह खातेदार है मृ खातेदार मानसिंह के हिस्से तक तो दोनों पक्षों में विवाद नहीं है। इस प्रकार वादीयागण एवं प्रति. सं. 1 व 2 सहहिस्सेदार एवं सह खातेदार साबित है तथा यह भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा वादीयागण का खाता विभाजन का भी दावा है। बन्नेसिंह खातेदार के स्थान पर केवल प्रति. सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हिस्सा की वे खातेदार है तथा मृ मानसिंह के 1/4 हिस्सा में से जो हिस्से बन्नेसिंह के वारीसान को मिलता है उसकी भी वादीयागण प्रति. सं. 1 व 2 के साथ बराबर खातेदार सिद्ध हुई है जिसके अनुसार वादीयागण व प्रति. सं. 1 व 2 का समस्त भूमि में प्रति. सं. 1 व 2 के साथ 1/3 हिस्सा अर्थात वादीयागण का कुल भूमि में 1/6 हिस्सा है जिसका वे विभाजन करवाने की अधिकारीणी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेज प्रदर्श 7, सैनिक विधवा पहचान पत्र प्रदर्श 8, सैनिक विधवा पेंशन आदेश प्रदर्श 12, मतदाता सूची प्रदर्श 15, राशन कार्ड प्रदर्श 1 व 11 से तथा प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 से यह साबित है कि वादीया संख्या 1 मृ. खातेदार बन्नेसिंह की विधवा है तथा वादीया संख्या 2 उसकी पुत्री है। उक्त दस्तावेजात लोक सेवकों द्वारा अपने पक्षीय कर्तव्य द्वारा बनाये गये है। जिनका खण्डन ना तो प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य से होता है ना ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर है जिससे इन पर सन्देह किया जा सके ऐसी स्थिति में तनकी नं. 1 को वादीयागण ने सिद्ध किया है तथा तनकी संख्या 4 व 5 को प्रति. सिद्ध करने में असफल रहे है तथा मानसिंह को दोनों पक्षों ने पिछले 30 वर्ष से लापता होना व उसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जीवित नहीं होने पर सहमत है। वादीया मृ. बन्नेसिंह की वारीस है यह तथ्य साबित है। वादीया संख्या 1 व 2 व प्रति. संख्या 1 व 2 मृ. बन्नेसिंह के 1/4 हिस्सा के सह खातेदार है मृ खातेदार मानसिंह के हिस्से तक तो दोनों पक्षों में विवाद नहीं है। इस प्रकार वादीयागण एवं प्रति. सं. 1 व 2 सहहिस्सेदार एवं सह खातेदार साबित है तथा यह भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा वादीयागण का खाता विभाजन का भी दावा है। बन्नेसिंह खातेदार के स्थान पर केवल प्रति. सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हिस्सा की वे खातेदार है तथा मृ मानसिंह के 1/4 हिस्सा में से जो हिस्से बन्नेसिंह के वारीसान को मिलता है उसकी भी वादीयागण प्रति. सं. 1 व 2 के साथ बराबर खातेदार सिद्ध हुई है जिसके अनुसार वादीयागण व प्रति. सं. 1 व 2 का समस्त भूमि में प्रति. सं. 1 व 2 के साथ 1/3 हिस्सा अर्थात वादीयागण का कुल भूमि में 1/6 हिस्सा है जिसका वे विभाजन करवाने की अधिकारीणी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

RY

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर